रजिस्टर्ड नं0 एल0 33-एम0 एम0 13 1 4/98.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 25 सितम्बर, 1998/3 आश्विन, 1920

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी एवं राजभाषा खण्ड

अधिसूचना

शिमला-2, 25 सितम्बर, 1998

संख्या एल0 एल0 आर0 (राजभाषा) बी0 (16)-27/98.—"दि हिमाचल प्रदेश खादी ऐण्ड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ऐक्ट, 1966 (1966 का 8)" के राजभाषा (हिन्दी) अनुवाद को हिमाचल प्रदेश की राजभाषा के तौर पर

3451-राजपत्र/98-25-9-98—1,261.

मूल्य : 1 रुपया।

9 सितम्बर, 1998 के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है । और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि) ।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966
(1966 का 8)

(राष्ट्रपति द्वारा 14 अप्रैल, 1966 को यथा अनुमत)
(31 अक्तूबर, 1997 को यथा विद्यमान)

प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में यथा समाविष्ट क्षेत्रों में खादी और ग्रामोद्योग के विकासार्थ और उनसे सम्बद्ध विषयों के लिए बोर्ड की स्थापना हेतु उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के सत्रहवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 है।

(2) इसका विस्तार, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में यथा समाविष्ट क्षेत्रों पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे सरकार इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) * * * *

(ख) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन स्थापित हिमाचल प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ग) "अध्यक्ष" से, बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(घ) "आयोग" से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 4 के अधीन स्थापित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "खादी" से भारत में सूत, रेशम से हथकरघों पर या भारत में हाथ से काता हुआ ऊनी धागा अथवा ऐसे किन्हीं दो या सभी धागों के मिश्रण से बुना हुआ कोई कपड़ा अभिप्रेत है ;

(च) "सदस्य" से, बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है ;

(छ) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ज) "विनियम" से, इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(झ) "उपाध्यक्ष" से, बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ञ) "ग्रामोद्योग" से :—

(i) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं ग्रामोद्योग और इसके अन्तर्गत उक्त

अधिनियम की धारा 3 के आधार पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया समझा जाने वाला कोई अन्य उद्योग है ; और

(ii) राज्य सरकार द्वारा आयोग और बोर्ड के परामर्श से, ग्रामोद्योग के रूप में अधिसूचित कोई अन्य उद्योग अभिप्रेत है।

अध्याय-2

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

बोर्ड की स्थापना।

3. (1) ऐसी तारीख से जो हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत कर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

(2) बोर्ड, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी तथा जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वाद ला सकेगा और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा :

परन्तु आयोग से भिन्न, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी को, बोर्ड की किसी स्थावर सम्पत्ति का कोई पट्टा, विक्रय या अन्तरण तब तक अकृत और शून्य होगा जब तक यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मन्जूर नहीं किया जाता है।

बोर्ड का गठन।

4. (1) बोर्ड में कम से कम तीन और अधिक से अधिक नौ सदस्य होंगे जो आयोग के परामर्श के पश्चात्, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाएंगे :–

(क) गैर पदधारियों, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की राय में खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादन एवं विकास में सक्रिय रूचि दिखाई हो; और

(ख) शासकीय पदधारियों।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, बोर्ड के सदस्यों में से एक को उसका अध्यक्ष नाम-निर्दिष्ट करेगी।

(3) अध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

उपाध्यक्ष

5. हिमाचल प्रदेश सरकार, आयोग से परामर्श के पश्चात् अन्य सदस्यों में से जो पदधारी न हों, उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी। वह अध्यक्ष की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या उसे अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

सचिव

6. हिमाचल प्रदेश सरकार, आयोग से परामर्श के पश्चात्, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष से भिन्न, एक सदस्य को बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी। वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं या उसे अध्यक्ष द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं।

7. कोई भी सदस्य, हिमाचल प्रदेश सरकार को, लिखित नोटिस द्वारा, अपने पद से त्याग-पत्र दे सकेगा, और ऐसे त्याग-पत्र को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाने पर, यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है। सदस्यों द्वारा पद से त्याग-पत्र।

8. बोर्ड या इसकी किन्हीं समितियों का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इसकी सदस्यता में किसी रिक्ति के कारण या इसके गठन में किसी त्रुटि के कारण, अविधिमान्य नहीं होगी। रिक्तियों, आदि से बोर्ड या इसकी किन्हीं समितियों की कार्यवाहियों और कार्यों का अविधिमान्य न होना।

9. (1) बोर्ड, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन करने में जिसकी सहायता या परामर्श चाहता है, अपने साथ सहयोजित कर सकेगा। विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयोजन।

(2) किसी प्रयोजन के लिए उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड के साथ सहयोजित किसी व्यक्ति को, प्रयोजन से सम्बद्ध बोर्ड की परिचर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार, आदेश द्वारा, सरकार के एक या उससे अधिक अधिकारियों को बोर्ड की किसी बैठक में हाजिर होने और बोर्ड की परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगी, किन्तु ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को मत देने का अधिकार नहीं होगा।

10. (1) बोर्ड अपनी बैठकें ऐसे समय और स्थानों पर करेगा और वह उप-धारा (2) से (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में, जिसके अन्तर्गत बैठक में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के, ऐसे नियमों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं : बोर्ड की बैठकें।

परन्तु बोर्ड की बैठक प्रत्येक दो मास में कम से कम एक बार होगी।

(2) अध्यक्ष जब भी वह उचित समझे, बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(3) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में, उपाध्यक्ष या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(4) बोर्ड की बैठक में सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मतों के बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

(5) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त तैयार किए जाएंगे और उस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर में अभिलिखित किए जाएंगे, और होने वाली आगामी बोर्ड की बैठक में रखे जाएंगे और ऐसी बैठक में उसके पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे तथा यथापूर्वोक्त हस्ताक्षरित होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतियां हिमाचल प्रदेश सरकार और आयोग को भेजी जाएंगी।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

11. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और अन्य सदस्यों की पदावधि और सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

स्थायी समितियां ।

12. (1) विहित रीति में, सदस्यों में से, एक स्थायी वित्तीय समिति गठित की जाएगी जो बोर्ड की वित्त सम्बन्धी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी जो बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित की जाएं ।

(2) बोर्ड, अपनी किसी शक्ति का प्रयोग करने या अपने किसी कर्तव्य का निर्वहन करने अथवा किसी विषय में जांच करने या रिपोर्ट देने और परामर्श देने के लिए, जो वह उन्हें निदिष्ट करे, सदस्यों की ऐसी संख्या से और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसी अन्य स्थायी समितियां गठित कर सकेगा ।

(3) स्थायी वित्त समिति या इस धारा के अधीन गठित कोई अन्य स्थायी समिति ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के बारे में जिसके अन्तर्गत बैठक में गणपूर्ति भी है, प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा उपबन्धित किए जाएं ।

बोर्ड के अधिकारी और सेवक ।

13. (1) हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी नियुक्त करेगी, जो ऐसा शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं अनुपालन करेगा ।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य नहीं है, बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्य का अनुपालन करेगा जो विहित किए जाएं या जो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(3) राज्य सरकार, बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्ण अनुपालन के लिए, ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो, बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो, राज्य सरकार के अनुमोदन से, अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं ।

(4) बोर्ड, ऐसे नियमों के अध्याधीन जो इस निमित्त सरकार द्वारा बनाए जाएं, ऐसे अन्य अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकेगा, जिन्हें वह अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण अनुपालन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु बोर्ड द्वारा, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी व्यक्ति को, जिसका मानदेय या अधिकतम वेतन तीन सौ रुपए प्रतिमास से अधिक हो, नियुक्त नहीं करेगा ।

अध्याय-3

बोर्ड के कृत्य और शक्तियां

बोर्ड के कृत्य ।

14. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए साधारणतया कार्यक्रमों की योजना बनाना और उन्हें आयोजित और कार्यान्वित करना बोर्ड के कृत्य होंगे ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड :—

(क) खादी और ग्रामोद्योग के विकास में अभिवृद्धि, प्रोत्साहन और सहायता करने तथा ऐसे उद्योग के उत्पादों में व्यापार या कारबार करने ;

(ख) ऐसे लोगों को, जो व्यावसायिक रूप से खादी और ग्रामोद्योग में लगे हैं, कार्य की व्यवस्था करने;

(ग) खादी और ग्रामोद्योग में लगे हुए व्यक्तियों, सोसाइटियों या संस्थाओं को ऐसी शर्तों पर, जैसी विहित की जाएं, ऋण देने ;

(घ) खादी और ग्रामोद्योग में सहकारी सोसाइटियों के स्थापन को प्रोत्साहित करने;

(ङ) खादी और ग्रामोद्योग को चलाने के लिए आवश्यक कौशल और जानकारी देने की दृष्टि से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने;

(च) खादी और ग्रामोद्योग विकास को सुनिश्चित करने के लिए औजारों और उपकरणों का विनिर्माण करने और ऐसे औजारों तथा उपकरणों की आपूर्ति का प्रबन्ध करने ;

(छ) भण्डार, दुकानें, पण्यशाला खोल कर और प्रदर्शनियां लगाकर, खादी और ग्रामोद्योग के तैयार माल का प्रचार और अभिप्रचार और विपणन का आयोजन करने ;

(ज) खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की गुणवत्ता और विपण्यता को सुधारने की दृष्टि से अनुसंधान का भार लेने और प्रोत्साहित करने ;

(झ) खादी और ग्रामोद्योग से सम्बन्धित आंकड़े, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से जो विहित किए जाएं, एकत्रित करने और इस प्रकार एकत्रित आंकड़ों को प्रकाशित करने ;

(ञ) अन्य विषय जो विहित किए जाएं, कार्यान्वित करने;

के लिए ऐसे पग उठाएगा जो वह ठीक समझता है ।

निदेश की अ की श

15. इस अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों के पालन में, बोर्ड ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो आयोग समय-समय पर दे ।

अध्याय-4

कार्यक्रम तैयार करना और प्रस्तुत करना

र्यक्रम ार और ुत रना ।

16. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष, ऐसी तारीख को जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नियत की जाए, आगामी वर्ष के लिए कार्य का कार्यक्रम तैयार करेगा और निम्नलिखित दर्शाते हुए अग्रिम में हिमाचल प्रदेश सरकार को अग्रेषित करेगा :—

(क) स्कीम की विशिष्टियां, जिन्हें ऐसे वर्ष के दौरान बोर्ड चाहे भागतः या पूर्णतः निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है ;

(ख) किसी कार्य या उपक्रम की विशिष्टियां जिन्हें बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए उस वर्ष में निष्पादित करने का प्रस्ताव करता है ; और

(ग) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

र्यक्रम की ूरी ।

17. हिमाचल प्रदेश सरकार, आयोग से परामर्श के पश्चात्, धारा 16 में निर्दिष्ट कार्यक्रम को पूर्ण रूप से या ऐसे उपांतरणों सहित जो यह उचित समझती है अनुमोदित और मंजूर कर सकेगी ।

ुपूरक र्यक्रम ।

18. बोर्ड, अनुपूरक कार्यक्रम तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख से पूर्व जो हिमाचल प्रदेश सरकार विहित करे, हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के लिए, अग्रेषित करेगा और ऐसे अनुपूरक कार्यक्रम के सम्बन्ध में धारा 17 के उपबन्ध लागू होंगे ।

ोम परि- तत करने बोर्ड की केत ।

19. बोर्ड, आयोग के पूर्व अनुमोदन से किसी स्कीम में, जब तक ऐसी स्कीम के लिए मंजूर संकलित रकम अधिक न हो, कोई परिवर्तन कर सकेगा और परिवर्तन की रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में और ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी ।

अध्याय-5

बिल्स, लेखा, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट

र्ड को ाय ।

20. हिमाचल प्रदेश सरकार, बोर्ड को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे अनुदान या अग्रिमों के रूप में ऐसी राशियां दे सकेगी जो वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

ार लेने बोर्ड की ेक्त ।

21. बोर्ड, समय-समय पर हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के उपबन्धों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी वह अवधारित करे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित कोई राशि, उधार ले सकेगा :

परन्तु आयोग से कोई राशि उधार लेने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व मंजूरी आवश्यक नहीं होगी ।

बोर्ड की निधियां ।

22. (1) बोर्ड की खादी निधि और ग्रामोद्योग निधि नाम से ज्ञात दो अलग-अलग निधियां होंगी और बोर्ड द्वारा समय-समय पर खादी या ग्रामोद्योग के प्रयोजन के लिए अनुदान, संदान, दान, अग्रिम या उधार के रूप में अभिप्राप्त सभी प्राप्तियां, यथास्थिति, खादी निधि या ग्रामोद्योग निधि में जमा की जाएंगी और बोर्ड द्वारा खादी या ग्रामोद्योग के लिए या बारे में सभी संदाय समुचित निधि से किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड, इस अधिनियम के किन्हीं या सभी प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण या किसी निकाय अथवा संगम से, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या किसी व्यष्टि से अनुदान, संदान और दान स्वीकार कर सकेगा ।

(3) यदि किसी समय, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट दोनों निधियों में से—एक में निधि की अपेक्षाओं से अधिक रकम है और दूसरी निधि में उस निधि की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रकम अपर्याप्त है, तो बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन से, पहली उल्लिखित निधि से, अधिक रकम या उसका इतना भाग जितना दूसरी निधि के लिए आवश्यक हो, अन्तरित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण.—दोनों निधियों में से किसी में उपलब्ध रकम की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए उप-धारा (2) के अधीन स्वीकृत रकमें हिसाब में नहीं ली जाएंगी ।

(4) बोर्ड से सम्बन्धित सभी धन, भारतीय स्टेट बैंक या किसी समनुषंगी बैंक या जहां भारतीय स्टेट बैंक या समनुषंगी बैंक का कोई कार्यालय नहीं है, वहां सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा या ऐसी प्रतिभूतियों में जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं, निवेशित किया जाएगा ।

(5) बोर्ड के लेखों का संचालन ऐसे अधिकारियों द्वारा संयुक्त: या व्यष्टित: किया जाएगा जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किए जाएं ।

खर्च करने की बोर्ड की शक्ति ।

23. धारा 25 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर ऐसी राशियां खर्च करने की शक्ति होगी जैसी वह ठीक समझे :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, बोर्ड को, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्वानुमोदन से, प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों से बाहर ऐसे किसी प्रयोजन पर, जो वह ठीक समझे, ऐसे धन को खर्च करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

निधियों और सम्पत्तियों का उपयोजन ।

24. बोर्ड की समस्त सम्पत्तियों, निधियां और अन्य आस्तियां, उसके द्वारा धारित और इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन तथा प्रयोजनों के लिए, उपयोजित की जाएंगी ।

बजट ।

25. (1) बोर्ड, आगामी वित्त वर्ष के लिए विहित प्ररूप में, प्रत्येक वर्ष में ऐसी तारीख तक जैसी विहित की जाए, खादी बजट और ग्रामोद्योग बजट के नाम से खादी और ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में क्रमश: उस वित्तीय वर्ष के दौरान प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शित करते हुए दो पृथक बजट तैयार करेगा और हिमाचल प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा और बोर्ड, बजट की प्रतियां, सूचना और टिप्पणियों, यदि कोई हों, के लिए कमीशन को अग्रेषित करेगा ।

(2) उप-धारा (3) और (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड द्वारा या बोर्ड की ओर से कोई राशि, तब तक व्यय नहीं की जाएगी, जब तक हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में ऐसा व्यय विनिर्दिष्ट उपबन्ध के अन्तर्गत नहीं हो।

(3) बोर्ड, खादी बजट और ग्रामोद्योग बजट की अपनी-अपनी सीमाओं के भीतर, व्यय के एक शीर्ष से दूसरे को या एक स्कीम के लिए किए गए प्रावधान से दूसरी के बारे में पुनर्विनियोग करने की मंजूरी दे सकेगा, किन्तु, धारा 22 की उप धारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी दशा में, खादी बजट से ग्रामोद्योग बजट को या ग्रामोद्योग बजट से खादी बजट को, निधियों का कोई भी पुनर्विनियोग नहीं किया जाएगा:

परन्तु बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय "उधार" शीर्ष से व्यय के किसी अन्य शीर्ष को और विलोमतः दोनों में से किसी एक बजट में किसी पुनर्विनियोग की मंजूरी नहीं देगा।

(4) बोर्ड, ऐसी सीमाओं के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, व्यय के किसी शीर्ष के अधीन या किसी विशिष्ट स्कीम के सम्बन्ध में, जब तक दोनों में से किसी एक बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित सकल रकम बढ़ नहीं जाती है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित बजट में उपबन्धित सीमा से अधिक व्यय उपगत कर सकेगा।

अनुपूरक बजट।

26. बोर्ड, किसी वर्ष में, हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमोदन के लिए, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख से पूर्व, जो हिमाचल प्रदेश सरकार विहित करे, अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सकेगा और ऐसे अनुपूरक बजट के सम्बन्ध में धारा 25 के उपबन्ध लागू होंगे।

वार्षिक रिपोर्ट।

27. (1) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने क्रिया-कलापों, नीति और कार्यक्रम का पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, तैयार करेगा और धारा 29 में निर्दिष्ट लेखों के वार्षिक कथन की प्रति सहित, हिमाचल प्रदेश सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन मास के भीतर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा आयोग से प्राप्त निधियों का और बोर्ड द्वारा उन निधियों की बाबत किए गए क्रिया-कलापों का पूर्ण विवरण देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और आयोग को भेजेगा।

(3) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्ट उक्त वार्षिक विवरणों के कथन सहित हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त होने के शीघ्र पश्चात् विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी।

विवरणियां और कथन।

28. (1) बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार और आयोग को, ऐसे समय में और ऐसे प्ररूप तथा रीति में जो विहित की जाए या जो हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा आयोग निर्दिष्ट करे, ऐसी विवरणियां और कथन तथा खादी और ग्रामोद्योग की अभिवृद्धि एवं विकास के लिए प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम से सम्बन्धित विशिष्टियां जो, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश सरकार या आयोग, समय-समय पर अपेक्षा करे, भेजेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई सभी विवरणियां, कथन और विशिष्टियां, उनके दिए जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्रता से, विधान सभा के पटल पर रखी जाएंगी ।

लेखा और संपरीक्षा ।

29. (1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों का वार्षिक विवरण, जिसके अन्तर्गत लाभ-हानि का लेखा और तुलना-पत्र भी है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तैयार करेगा जो विहित की जाए ।

(2) बोर्ड के लेखों की ऐसे व्यक्ति द्वारा संपरीक्षा की जाएगी जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया जाए ।

(3) आयोग द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों को आयोग द्वारा दी गई अग्रिम निधियों से सम्बन्धित बोर्ड के लेखों की संपरीक्षा और निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) उप-धारा (2) और (3) के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षकों को, ऐसी संपरीक्षा के सम्बन्ध में साधारणत: ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो विहित किए जाएं और उन्हें, विशिष्ट रूप से, बहियां, लेखा, वाऊचर और संपरीक्षा से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(5) ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित बोर्ड के लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्रति वर्ष हिमाचल प्रदेश सरकार और आयोग को, ऐसी तारीख से पूर्व जो हिमाचल प्रदेश सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, भेजे जाएंगे ।

(6) बोर्ड ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा, जो हिमाचल प्रदेश सरकार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशीलन के पश्चात् जारी करना ठीक समझे ।

अध्याय-6

प्रकीर्ण

बोर्ड के सदस्यों और सेवकों का लोक सेवक होना ।

30. बोर्ड के सदस्य और अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे ।

अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई का संरक्षण

31. इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

बोर्ड का विघटन ।

32. (1) यदि किसी भी समय हिमाचल प्रदेश सरकार का समाधान हो जाता है कि : —

(क) बोर्ड ने युक्तियुक्त कारण या प्रतिहेतु के बिना इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन अधिरोपित या सौंपे गए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में या कृत्यों का पालन

करने में व्यतिक्रम किया है या अपनी शक्तियों से अधिक या उन का दुरूपयोग किया है ; या

(ख) ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कृत्यों का पालन करने में असमर्थ हो गया है ; या

(ग) अन्यथा बोर्ड को विघटित करना समीचीन और आवश्यक है ;

तो हिमाचल प्रदेश सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से और ऐसी अवधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, बोर्ड का विघटन कर सकेगी और यह घोषणा कर सकेगी कि इसके विघटन के दौरान बोर्ड के कर्त्तव्यों, शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन, प्रयोग और पालन ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु हिमाचल प्रदेश सरकार, बोर्ड को विघटित करने से पूर्व, इसे प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी ।

(2) हिमाचल प्रदेश सरकार, विघटन की अवधि के अवसान से पूर्व, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन करेगी ।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार, ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबन्ध बना सकेगी जो इस धारा के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए इसे आवश्यक प्रतीत हों ।

(4) इस धारा के अधीन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई कोई अधिसूचना या दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(5) जब उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड का विघटन कर दिया जाता है तब—

(i) सभी सदस्य विघटन की तारीख से ऐसे सदस्यों के रूप में अपना पद खाली करेंगे ;

(ii) विघटन की अवधि के दौरान ऐसी सभी सम्पत्ति, निधियां और देय जो बोर्ड में निहित हैं या उस द्वारा वसूलीय है, राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे, या उस द्वारा वसूलीय होंगे ।

(iii) बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध वैध रूप से अस्तित्वशील और प्रवर्तनीय सभी दावे और दायित्व ऐसे प्रवर्तनीय होंगे मानो कि वे दावे और दायित्व प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में यथा समाविष्ट क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में, यथास्थिति, ग्रहण या उपगत किए गए थे ।

बकाया की वसूली ।

33. यदि किसी संविदा के निबन्धनों के अनुसार या अन्यथा बोर्ड को देय कोई रकम या उसके सम्बन्ध में संदेय कोई राशि संदत्त नहीं की गई है तो बोर्ड, विधि द्वारा उपबन्धित किन्हीं अन्य उपचार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी रकम या राशि को ऐसे वसूल कर सकेगा मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया था ।

अवसूलीय राशियों को बट्टे-खाते डालने की शक्ति ।

34. बोर्ड, इसे देय किसी राशि को बट्टे खाते में डालने में सक्षम होगा, यदि ऐसी राशि, उसकी राय में अवसूलीय है :

परन्तु—

(i) जहां किसी व्यक्ति के पक्ष में बट्टे खाते डाली गई राशि पांच सौ रुपए से अधिक है ; या

(2) जहां किसी वित्तीय वर्ष में बट्टे खाते डाली गई राशियों का योग पांच हजार रुपए से अधिक है ;

तो वहां प्रथमत: हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व मन्जूरी लेनी होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

35. (1) हिमाचल प्रदेश सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) स्थान जहां बोर्ड का कार्यालय अवस्थित होगा ;

(ख) सदस्यों की पदावधि और सदस्यों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति और अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा अन्य सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें जिसके अन्तर्गत उनको संदत्त किए जाने वाले वेतन और भत्ते तथा उन द्वारा लिए जाने वाले यात्रा और दैनिक भत्ते है ;

(ग) बोर्ड की सदस्यता के लिए निरर्हताएं और किसी ऐसे सदस्य को हटाए जाने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, जो किसी निरर्हता से ग्रस्त है या बन जाता है ;

(घ) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्य ;

(ङ) सदस्यों द्वारा कृत्यों का पालन करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) बोर्ड के सचिव, वित्तीय सलाहकार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निर्वहन किए जाने वाले कर्त्तव्य ;

(छ) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए और ढंग जिसमें, बोर्ड की ओर से या बोर्ड द्वारा संविदाएं की जा सकेंगी ;

(ज) स्थायी वित्त समिति और अन्य स्थायी समितियों का गठन ;

(झ) वह तारीख जिस तक और प्ररूप जिसमें बजट और अनुपूरक बजट तैयार किए जाएंगे और धारा 25 और धारा 26 के अधीन प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(ञ) बोर्ड को निधियों का कब्जा देने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(ट) धन उधार लेने और उधार देने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अनुपालन की जाने वाली शर्तें ;

(ठ) प्ररूप और रीति जिसमें रिपोर्टें, विवरणियां या कथन धारा 27 और धारा 28 के अधीन प्रस्तुत किए जाएंगे ;

(ड) प्ररूप और रीति जिसमें बोर्ड के लेखे और अभिलेख रखे जाएंगे और लेखों का वार्षिक विवरण रखा जाएगा तथा धारा 29 के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ; और

(ढ) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना है या विहित किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें वह इस प्रकार रखा गया है, विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो पत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

विनियम बनाने की शक्ति।

36. (1) बोर्ड, हिमाचल प्रदेश सरकार की पूर्व मन्जूरी से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने में इसे समर्थ बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से असंगत न हों।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) सचिव से भिन्न, बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति व सेवा के निबन्धन तथा शर्तें और वेतनमान जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की गई यात्राओं के बारे में यात्रा और दैनिक भत्ते का संदाय भी है ;

(ख) बोर्ड की बैठकों का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और ऐसी बैठकों के लिए आवश्यक गणपूर्ति करेगा ;

(ग) स्थायी समितियों के कृत्य और स्थायी समितियों द्वारा अपने कृत्यों के पालन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसी स्थायी समिति, सचिव या किसी अन्य अधिकारी अथवा कर्मचारी को शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रत्यायोजन ;

(ङ) बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त रखना ;

(च) व्यक्ति, जिस द्वारा तथा रीति जिससे बोर्ड की ओर से संदाय, निक्षेप और विनिधान किए जा सकेंगे ;

(छ) बोर्ड के दिन प्रतिदिन के व्यय के लिए अपेक्षित धन की अभिरक्षा और इस प्रकार अनापेक्षित धन का विनिधान ; और

(ज) लेखे रखना।

(3) हिमाचल प्रदेश सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के अधीन बनाए गए किसी विनियम को विखंडित या उपांतरित कर सकेगी और तदुपरि विनियम तदनुसार प्रभावहीन या उपांतरित हो जाएगा।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।